राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

Director, ICDS
Raj. Jaipur
Receipt No. 2015
Date 4/5/16

क्रमांक प.7(8)वित्त–1(1)आ.व्य./2015 जयपुर, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

परिपत्र

विषयः– स्वीकृत बजट प्रावधानों का वित्तीय वर्ष में उपयोग करने एवं आधिक्य पर प्रभावी नियंत्रण रखे जाने के संबंध में।

इस विभाग के पूर्व परिपत्र क्रमांक प.7(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2013 दिनांक 08.04.2013 (संख्या 5/2013), प.7(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2014 (संख्या 8/2014) दिनांक 25.08.2014 एवं प.7(9)वित्त–1(1)आ.व्य./2014 (संख्या 7/2015) दिनांक 20.04.2015 द्वारा समस्त बजट नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि वे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत बजट प्रावधानों के अनुसार ही राशि व्यय करें एवं अतिरेक व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखें।

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा की जन लेखा समिति वर्ष 2015–2016 ने 81 वें एवं 82 वें प्रतिवेदन में यह अभिमत व्यक्त किया है कि वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में आधिक्य से संबंधित मामलों में कुछ विभागों द्वारा बजट मैन्युअल के नियमों की पूर्ण पालना नहीं की गई है। कुछ विभागाध्यक्षों द्वारा समय रहते अनुपूरक मांग प्रस्तुत नहीं की गई हैं। कुछ विभागों द्वारा अनुपूरक मांग के बाद भी आधिक्य रहा और कुछ द्वारा अनुपूरक मांग में राशि लेने के उपरान्त वह राशि खर्च नहीं हुई। अतः बजट प्रावधान का वित्तीय वर्ष में ही उपयोग हो इसके लिए विभाग समय पर स्वीकृतियाँ जारी करे तथा स्वीकृत राशि का वित्तीय वर्ष के अन्दर ही उपयोग करने की सुदृढ़ व्यवस्था करें। बजट प्रावधानों में विभागीय बचत भी बजट की सकारात्मक उपलब्धता को प्रभावित करती है। अधिक बचत या आधिक्य अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त, वित्तीय नियमों में उचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों एवं बजट नियंत्रण अधिकारियों से पुनः अनुरोध है कि:–

(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यकतानुसार अनुपूरक मांगों के प्रस्ताव निर्धारित समयावधि में इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें,

(ii) स्वीकृत बजट प्रावधानों के अनुसार ही वित्तीय वर्ष में राशि का उपयोग करने एवं आधिक्य पर प्रभावी नियंत्रण रखे जाने की सुदृढ़ व्यवस्था करें, एवं

(iii) अनावश्यक बजट प्रावधान प्रस्तावित नहीं करें, ताकि बचत की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

इस संबंध में कृपया बजट नियमावली के प्रावधानों की कठोरता से पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।

25/04/16

(प्रेम सिंह मेहरा)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांकः–एफ.2( )बजट/आयो./बीएफसी/2015/63938-64285 जयपुर, दि. 17-5-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त योजना प्रभारी, मुख्यालय / अधिकारीगण।
2. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग (समस्त)
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाऐं (समस्त)
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड बाबत।

वित्तीय सलाहकार

-D:\Budget\SETHI\WORD\ORDER.doc